



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (कर) क्रमांक 93/2017

आदेश सुरक्षित करने का दिनांक - 27-2-2025

आदेश पारित करने का दिनांक - 11-3-2025

जयसवाल नीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-8, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, हिंगना रोड, नागपुर - 440016, महाराष्ट्र (भारत) में है और इसकी इकाई सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश कुमार राठी, पिता लेफ्टिनेंट श्री आई.के. राठी, आयु 54 वर्ष, निवासी सी-13, जीवन विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता

बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्य कर भवन, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वाणिज्य कर भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।


--- उत्तरवादीगण

एवं

रिट याचिका (कर) क्रमांक 122/2016

जयसवाल नीको इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित एक कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-8, एमआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र, हिंगना रोड, नागपुर - 440016, महाराष्ट्र (भारत) में है और इसकी इकाई सिलतरा, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री राजेश कुमार राठी, पिता लेफ्टिनेंट श्री आई.के. राठी, निवासी सी-13, जीवन विहार कॉलोनी, तेलीबांधा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- याचिकाकर्ता





बनाम

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, महानदी भवन, नया रायपुर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
2. वाणिज्यिक कर आयुक्त, वाणिज्य कर भवन, सिविल लाइन्स, रायपुर, छत्तीसगढ़।
3. सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वाणिज्य कर भवन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

--- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता हेतु :श्री एम. पी. देवनाथ, श्री अभिषेक आनंद एवं श्री नीलाभ दुबे, अधिवक्ता।
उत्तरवादीगण/राज्य हेतु :श्री राहुल तामस्कर, शासकीय अधिवक्ता।

खण्ड पीठ :-


माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय के. अग्रवाल एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायसवाल

सी. ए. वी आदेश

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. दोनों रिट याचिकाओं में विधि और तथ्य का सामान्य प्रश्न सम्मिलित है, इसलिए उन्हें एक साथ रखा गया है, एक साथ सुना जा रहा है और इस सामान्य आदेश द्वारा निर्णय लिया जा रहा है।
2. याचिकाकर्ता मेसर्स जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने दोनों रिट याचिकाओं में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (संक्षेप में 'छत्तीसगढ़ वैट अधिनियम') की धारा 15-ख और 72(झ)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-10/101/2006/सीटी/वी/(94) दिनांक 31-10-2006 (अनुलग्नक पी-2) की वैधता, विधिमान्यता और शुद्धता पर प्रश्न उठाया है, जिसे केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में 'सीएसटी अधिनियम') की धारा 8 की उपधारा (5) के साथ पढ़ा जाए, जिसमें सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) के संशोधित प्रावधानों को सम्मिलित किया गया है, और इसे विधि में असंवैधानिक और अमान्य करार दिया गया है। याचिकाकर्ता मेसर्स जयसवाल निको इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने **डब्ल्यूपीटी क्रमांक 122/2016** में वर्ष 2006-2007 के लिए जारी किए गए दिनांक 18-6-2010 के निर्धारण आदेश (अनुलग्नक पी-3) को भी रद्द करने की मांग की है, क्योंकि अन्य निर्धारण आदेशों के संबंध में अपील पहले ही दायर की जा चुकी है।

3. याचिकाकर्ता का प्रकरण यह है कि याचिकाकर्ता एक कंपनी है जो लौह और इस्पात उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री के व्यवसाय में लगी हुई है और वाणिज्यिक कर विभाग में पंजीकृत है। याचिकाकर्ता कंपनी को दिनांक 3-6-1993 की अधिसूचना के अधीन दिनांक 22-9-1996 से 21-9-2010 तक केंद्रीय बिक्री कर सहित करों के भुगतान से छूट दी गई थी, हालांकि, छूट का लाभ बाद में 21-9-2019 तक बढ़ा दिया गया था, हालांकि, 1-7-2017 से जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के लागू होने पर, यह कंपनी पर दिनांक 30-6-2017 तक लागू होगा। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि सीएसटी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) को दिनांक 10-5-2002 को संशोधित किया गया था, जो दिनांक 11-5-2002 से प्रभावी था, जिसके अधीन करदाता को सीएसटी अधिनियम की धारा 8(4) की आवश्यकता को पूरा करना अनिवार्य था और परिणामस्वरूप, संशोधन के बाद, करदाता को छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए फॉर्म सी में घोषणा प्रस्तुत करना आवश्यक था। परिणामस्वरूप, राज्य शासन ने सीएसटी अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (5) के साथ पठित छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 15-ख और 72(छ)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) में निहित संशोधित प्रावधानों में उल्लिखित आवश्यकता को सम्मिलित करते हुए 31-10-2006 की अधिसूचना जारी की। याचिकाकर्ता को सुसंगत कर निर्धारण वर्ष के लिए फॉर्म सी के अभाव में छूट का लाभ देने से मना कर दिया गया था और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश पारित किया गया था, जिसका प्रथम अपील में असफल विरोध किया गया और उसके बाद द्वितीय अपील में, जिसके परिणामस्वरूप अधिसूचना क्रमांक एफ-10/101/2006/सीटी/वी/(94) दिनांक 31-10-2006 (अनुलग्नक पी-2) और परिणामी आदेश दिनांक 26-11-2016 (डब्ल्यूपीटी क्रमांक 93/2017 में अनुलग्नक पी-4) की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाते हुए वर्तमान रिट याचिकाएं दायर की गईं, जो छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर न्यायाधिकरण, रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ए/65/15/2016/केन्द्रीय में पारित किया गया था। याचिकाकर्ता का यह भी प्रकरण है कि याचिकाकर्ता कंपनी को वर्ष 1996 में दिनांक 3-6-1993 की अधिसूचना द्वारा 14 वर्ष की अवधि के लिए छूट का लाभ दिया गया था और इस प्रकार दी गई छूट का लाभ 1996 तक निहित अधिकार था जिसे 21-9-2019 तक बढ़ा दिया गया है और याचिकाकर्ता कंपनी से निहित अधिकार को पूर्वव्यापी प्रभाव से बाद की अधिसूचना जारी करके नहीं छीना जा सकता है। याचिकाकर्ता का यह भी प्रकरण है कि कर छूट के संबंध में यह अधिसूचना याचिकाकर्ता कंपनी पर लागू नहीं होगी और राज्य सरकार द्वारा दी गई रियायत पर कार्य करते हुए याचिकाकर्ता कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का भारी निवेश किया है और इस प्रकार 21-9-2019 तक लागू छूट के लिए हकदार है, लेकिन जीएसटी लागू होने पर यह दिनांक 30-6-2017 तक लागू होगी, जिसे वचन-विबन्धता के सिद्धांत पर वापस नहीं लिया जा सकता है और जिसे रद्द करने की मांग की गई है।





4. राज्य/उत्तरवादियों द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि यद्यपि याचिकाकर्ता कंपनी को दिनांक 3-6-1993 की अधिसूचना के अधीन केंद्रीय बिक्री कर सहित करों के भुगतान से छूट का लाभ दिया गया था, जो दिनांक 21-9-2010 तक लागू था और दिनांक 21-9-2019 तक बढ़ाया गया था, लेकिन दिनांक 31-10-2006 की अधिसूचना के आधार पर, छूट मात्र सीएसटी अधिनियम की धारा 8(4) के अधीन निर्धारित शर्तों की पूर्ति पर लागू होगी। यह भी कहा गया है कि प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड और एक अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य¹ के प्रकरण में बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय, जिसका याचिकाकर्ता कंपनी ने अवलंब लिया है, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लागू नहीं होता है और इसका कोई महत्व नहीं है और शासन द्वारा वैधानिक शक्ति का प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से विधि के अनुसार है। इस प्रकार, दोनों रिट याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

5. याचिकाकर्ता कंपनी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एम.पी. देवनाथ और श्री नीलाभ दुबे ने तर्क प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाओं में सम्मिलित विवादक पर अब सर्वोच्च न्यायालय के उनके माननीय न्यायाधीशों द्वारा **महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड और एक अन्य²** के मामले में निर्णायक रूप से निर्णय ले लिया गया है, इसलिए दोनों रिट याचिकाएँ स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

6. राज्य/उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता श्री राहुल तामस्कर ने कहा कि अधिसूचना दिनांक 31-10-2006 (अनुलग्नक पी-2) की संवैधानिक वैधता पर प्रश्न उठाने का कोई आधार नहीं बनता है, क्योंकि सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) और परिणामी अधिसूचना की प्रयोज्यता के संबंध में विधिक स्थिति प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कंपनी ने लगभग दस वर्षों के बाद दिनांक 31-10-2006 की अधिसूचना को चुनौती दी है और इस प्रकार, रिट याचिकाओं को खारिज किया जाना चाहिए।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा उनके द्वारा ऊपर दिए गए तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का भी अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

8. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि दिनांक 3-6-1993 की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता कंपनी को छूट प्रदान की गई थी, क्योंकि याचिकाकर्ता कंपनी ने इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट में ₹1,000 करोड़ से अधिक का निवेश किया है और छूट का लाभ दिनांक 22-9-1996 से मिलना शुरू हुआ, उसके बाद दिनांक 10-5-2002 को सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) में संशोधन किया गया,

1 [2012] 54 VST 104 (Bom)

2 2025 SCC OnLine SC 298



जिससे सीएसटी अधिनियम की धारा 8(4) की पूर्ति (सी-फॉर्म प्रस्तुत करना) धारा 8(5) के अंतर्गत छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हो गई और दिनांक 10-5-2002 की अधिसूचना के अनुसार सी-फॉर्म प्रस्तुत करना अनिवार्य करते हुए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2011 की धारा 15-ख एवं 72(छ)(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 8 की उपधारा (5) के साथ अधिसूचना दिनांक 31-10-2006 जारी की। सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) के संशोधित प्रावधानों को सम्मिलित करते हुए सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) के अधीन छूट का लाभ उठाने के लिए सी-फॉर्म प्रस्तुत करना/उत्पादन अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर याचिकाकर्ता कंपनी ने वर्तमान रिट याचिकाओं में प्रश्न उठाया है। हालांकि, इस संबंध में प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड (पूर्वोक्त) में बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्णय को महाराष्ट्र राज्य द्वारा प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड (पूर्वोक्त) के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके न्यायाधीशों ने सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) के संबंध में विधिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए इस विवाद्यक पर विचार किया था और अभिनिर्धारित किया था कि इस तरह के प्रतिबंध प्रकृति में भावी हैं और उन प्रकरणों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे जहां संशोधन से बहुत पहले पूर्ण छूट की अनुमति दी गई थी। पैरा 17 में निम्नानुसार देखा गया है: -

“17. उक्त संशोधन सीएसटी की धारा 8(5) के अधीन राज्य सरकार को अंतर-राज्यीय बिक्री, व्यापार और वाणिज्य पर व्यापारियों को कर से छूट/आंशिक छूट देने की शक्ति को विनियमित करता है, जो धारा 8 की उप-धारा (4) में निर्धारित आवश्यकताओं की पूर्ति के अधीन है, अर्थात् फॉर्म 'सी' और 'डी' का उत्पादन, जैसा भी प्रकरण हो, असंशोधित अधिनियम के अधीन छूट/आंशिक छूट की पूर्ण शक्ति के विपरीत है। यह ध्यान देने योग्य है कि उक्त संशोधन प्रकृति में भविष्यलक्षी है और दिनांक 11.05.2002 से लागू किया गया है और यह किसी भी पूर्ववर्ती तिथि से या पूर्वोक्त तिथि से पहले के संव्यवहार पर लागू नहीं है। दूसरे शब्दों में, अंतर-राज्यीय बिक्री, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कर से छूट/आंशिक छूट देने के लिए राज्य सरकार को धारा 8(5) के अधीन शुरू में दी गई पूर्ण शक्ति संशोधन के साथ बिक्री, व्यापार या वाणिज्य को सीएसटी अधिनियम की धारा 8(4) की आवश्यकता की पूर्ति तक सीमित कर दिया गया था, जो दिनांक 11.05.2002 से मात्र फॉर्म 'सी' और 'डी' जमा करने का प्रावधान करता है। हालांकि, इस तरह के प्रतिबंध प्रकृति में भविष्यलक्षी हैं और उन प्रकरणों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होंगे जहां संशोधन से बहुत पहले पूर्ण छूट दी गई थी।”

9. इसके बाद, उनके माननीय न्यायाधीशों ने इस बात पर भी विचार किया कि क्या सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) में उपरोक्त संशोधन से वह अधिकार समाप्त हो जाएगा जो पात्रता/हकदारी प्रमाण-पत्रों के अधीन करदाता को प्राप्त हुआ था, जिसमें फॉर्म 'सी' और 'डी' जमा करने की किसी



शर्त के बिना पूर्ण छूट प्रदान की गई थी। अंततः, उनके माननीय न्यायाधीशों ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र और नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए बिना सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) में मात्र भविष्यलक्षी संशोधन के आधार पर करदाता को प्राप्त ऐसे अधिकार को समाप्त करना न्यायोचित नहीं है, और निम्नानुसार अवलोकन किया: -

“28. इसके अलावा, विधि में यह स्थापित है कि यदि किसी व्यक्ति को कोई मौलिक अधिकार प्राप्त हो गया है, तो उसे उक्त व्यक्ति को नोटिस दिए बिना या सुनवाई का अवसर दिए बिना एकतरफा तरीके से नहीं छीना जा सकता। इस प्रकार, धारा 8(5) के संशोधन के बाद, सरकार को कर के भुगतान से पूर्ण छूट का दावा करने के लिए करदाता-उत्तरवादी के अधिकारों को प्रभावित करने वाला एकतरफा आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। करदाता-उत्तरवादी को पात्रता प्रमाणपत्र या हकदारी प्रमाणपत्र को निरस्त करने के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इसलिए, उक्त प्रमाणपत्रों को निरस्त किए बिना, करदाता-उत्तरवादी को उसके अधीन प्राप्त मौलिक अधिकार यथावत रहता है और धारा 8(5) के बाद के संशोधन से प्रभावित नहीं होता है क्योंकि संशोधित प्रावधान में ऐसा कुछ भी नहीं है जो करदाता-उत्तरवादी को दिए गए ऐसे अधिकार को छीनने का प्रावधान करता हो।

29. राज्य सरकार द्वारा पूर्वोक्त संशोधित धारा 8(5) को लागू करते समय, बिना नोटिस या सुनवाई का अवसर दिए, दिनांक 24.03.1998 के हकदारी प्रमाण-पत्र को निरस्त किए बिना धारा 8(5) के मात्र भविष्यलक्षी संशोधन के आधार पर करदाता-उत्तरवादी को प्राप्त ऐसे अधिकार को छीनना न्यायोचित नहीं था।

30. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, उपरोक्त संक्षिप्त बिंदु पर, राज्य सरकार करदाता-प्रतिवादी के कर निर्धारण को संशोधित करने और छूट प्राप्त कर की मांग करने के लिए मात्र इस कारण से नोटिस जारी करने के लिए सक्षम नहीं थी कि करदाता-उत्तरवादी ने अंतर-राज्यीय बिक्री, व्यापार और वाणिज्य के समर्थन में फॉर्म 'सी' और 'डी' प्रस्तुत नहीं किया है। फॉर्म 'सी' और 'डी' प्रस्तुत करने की आवश्यकता दिनांक 11.05.2002 के बाद अर्थात् वित्त अधिनियम 2002 के बाद लागू होगी। तदनुसार, हमारी राय में अपील सारहीन है और इसलिए इसे खारिज किया जाता है।”

10. सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के आलोक में प्रकरण के तथ्यों पर वापस आते हुए, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता कंपनी को दिनांक 3-6-1993 की अधिसूचना के अनुसार कुछ शर्तों की पूर्ति पर कर देयता से पूर्ण छूट प्रदान की गई है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, कर छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए सी-फॉर्म का उत्पादन अनिवार्य बनाने वाले सीएसटी अधिनियम की धारा 8(5) में किया गया संशोधन 10-5-2002 से लागू होगा और धारा 8(5) का संशोधित प्रावधान 10-5-2002 से



प्रभावी होगा, जो उन संव्यवहार के लिए भावी रूप से लागू होगा जिनके संबंध में पात्रता प्रमाण पत्र बाद में जारी किए जाते हैं, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के उनके माननीयों द्वारा माना गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि 31-10-2006 की अधिसूचना याचिकाकर्ता कंपनी पर लागू नहीं होगी क्योंकि उन्हें 22-9-1996 से पहले ही छूट दी जा चुकी थी, क्योंकि छूट 21-9-2019 तक उपलब्ध थी और अब जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर 30-6-2017 तक उपलब्ध है। प्रकरण को ध्यान में रखते हुए, 31-10-2006 की अधिसूचना याचिकाकर्ता कंपनी पर लागू नहीं होगी और छूट दिनांक 3-6-1993 की अधिसूचना के अनुसार 30-6-2017 तक उपलब्ध होगी। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिकरण, रायपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक ए/65/15/2016/केन्द्रीय में पारित दिनांक 26-11-2016 (डब्ल्यूपीटी क्रमांक 93/2017 में अनुलग्नक पी-4) तथा कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 के लिए जारी दिनांक 18-6-2010 (डब्ल्यूपीटी क्रमांक 122/2016 में अनुलग्नक पी-3) आदेश को निरस्त किया जाता है। याचिकाकर्ता कंपनी सी-फॉर्म प्रस्तुत किए बिना छूट का लाभ पाने की हकदार होगी।

11. रिट याचिकाएँ ऊपर बताई गई सीमा तक स्वीकार की जाती हैं। व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही/-

(संजय के. अग्रवाल)

न्यायाधीश

सही/-

(संजय कुमार जयसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।